परिवहन विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांक :– प 20(2) परि/लेखा/सी.ए.जी./2016–17/11082 दिनांक 28/6/019

कार्यालय आदेश स.0 13/2019

विषयः– सी.ए.जी. प्रतिवेदन 2016–17 में समाविष्ठ अनुच्छेदों एवं आंतरिक अंकेक्षण के बकाया आक्षेपों की अनुपालना के संबंध में।

सी.ए.जी. प्रतिवेदन 2016–17 में समाविष्ठ अनुच्छेदों की अनुपालना महालेखाकार, राज0 की संवीक्षा टिप्पणी सहित राज0 विधान सभा को 06.08.2018 को प्रेषित की गई। प्रतिवेदन में प्रदर्शित वसूली नहीं होने एवं राशि बकाया होने के कारण प्रेषित अनुपालना पूर्ण नहीं है। उक्त प्रतिवेदन की पूर्ण अनुपालना व बकाया वसूली के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. सी.ए.जी. प्रतिवेदन 2016–17 में विभिन्न प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में आंतरिक अंकेक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों के आक्षेपों से संबंधित अनुच्छेद लिया गया है जिनकी अनुपालना/पूर्ण वसूली हेतु आपके द्वारा ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जो कि अत्यंत गंभीरता का विषय है। अतः इस संबंध में समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं उनके कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि आंतरिक अंकेक्षण संबंधी अनुच्छेदों की ठोस/समुचित अनुपालना दिनांक 26.07.2019 तक तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि माह जुलाई, 2019 के अंतिम सप्ताह से पैरा निस्तारण के कैम्प प्रारम्भ किये जा सकें।
2. इसी प्रकार सी.ए.जी. प्रतिवेदन 2016–17 में वर्णित वाहनों की बकाया वसूली से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद लिये गये है। उक्त वसूली के लिए संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा समुचित प्रयास एवं नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं उनके कार्यालयों में पदस्थापित लेखाकर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.07.2019 तक सी.ए.जी. प्रतिवेदन 2016–17 में वर्णित बकाया वसूली पर समुचित कार्यवाही करके बकाया राशि वसूल कर अनुपालना प्रस्तुत करें।

उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित उत्तरदायी कार्मिक का आचरण राज्यादेशों की अवहेलना एवं दुराचरण की श्रेणी में मानते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम 4(v) के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम, 1958 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

26/06

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांक :– प 20(2) परि/लेखा/सी.ए.जी./2016–17 11083 to 88 दिनांक 28/6/2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. निजी सहायक, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।
3. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
4. उप वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी।
5. समस्त प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारी को पालनार्थ।
6. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहा0 लेखाधिकारी प्रथम /द्वितीय/क0 लेखाकार को पालनार्थ।

वित्तीय सलाहकार